



राजस्थान-सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email :

director.sanskrit@gmail.com



क्रमांक:-निसंशि / संस्था.-5 / डीपीसी / 13121 / 2024 /

दिनांक:-

:: आदेश ::

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 की पालना में रिक्ति वर्ष 2022 - 23 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 03 छाया पद की स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी क्रमांक 152400230 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा प्राप्त हुई, छाया पद सृजित किये जाने संबंधी प्रदत्त सहमति की अनुपालना में संयुक्त शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान-सरकार के पत्र क्रमांक पं.1(20)संस्कृत शिक्षा /2023/राका-01463 जयपुर दिनांक 08.04.2024 एवं विभागीय पत्र क्रमांक निसंशि /संस्था -5 /रिव्यू डीपीसी छाया पद /2023/12050 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा जारी नोटिस के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 से 33 तक के प्रावधानान्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति की बैठक दिनांक 22.05.2024 के अन्तर्गत दो से अधिक संतान वाले निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार पूर्व में अपात्र वर्ष से पदोन्नति दिये जाने हेतु चयन संबंधी की गई अनुशंषाओं के अनुसार विभागीय आदेश राजकाज रेफ. 7856223 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा की गई छाया पदों की रिव्यू डीपीसी पदोन्नति आदेश में चयन वर्ष एवं रिक्ति दिनांक से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयनित किया गया था दिनांक 07.06.2024 के द्वारा पदोन्नति की गये कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकित कार्यालय/संस्था में निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	पीएफ न.	नाम कर्मचारी मय कार्यरत स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	559	श्री चन्द्र प्रकाश सुथार राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय- बीकानेर	निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2.	573	श्री जय कुमार संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी जयपुर संभाग, जयपुर	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी अजमेर संभाग, अजमेर

1. पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी को पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेश की पालना में दिनांक 27.08.2024 तक कार्यारम्भ करना आवश्यक होगा अन्यथा उक्त तिथि तक कार्यारम्भ नहीं किया गया तो फोरगो मान लिया जावेगा तथा चयनित वेतनमान के लाभ को विलम्बित कर दिया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) कार्मिक/क-2/90 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार 2 रिक्ति वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
2. पदोन्नति स्थान पर कार्यारम्भ करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है।
4. पदोन्नति पर रिक्ति वर्ष का परिलाभ एवं समस्त कार्यवाही नियमानुसार विभागीय छाया पदों की रिव्यू डीपीसी पदोन्नति आदेश राजकाज रेफ 7856223 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार देय होगा।

विजय पाल सिंह
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
9832784



क्रमांक:—निसंशि / संस्था.—5 / डीपीसी / 13183 / 2024 /

दिनांक:—

1. विशिष्ट सहायक, संस्कृत शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान शासन, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदया, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, (शिक्षा ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
7. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / संस्था प्रधान का भेजकर लेख है कि पदोन्नत कार्मिकों की कार्यमुक्ति / कार्यारम्भ की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही कार्मिक द्वारा पदोन्नति परित्याग करने की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. व्यक्तिगत पंजिका।
10. गोपनीय अनुभाग, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
11. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर